

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- 1646 / 11-सी- FP/UP/ROAD/43247/2019, लखनऊ, दिनांक: फरवरी 14, 2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
बरेली वृत्त, बरेली।

विषय:- जनपद शाहजहाँपुर में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा पुत्तूलाल चौराहा-रोजा अड्डा चौराहा (चैनेज 0.00-2.950) हथोडा चौराहा-पुत्तूलाल चौराहा (चैनेज 0.00-2.750) जी0आई0सी0 से अटसालिया रेलवे फाटक रोड (चैनेज 0.00-3.950) बरेली रोड से गर्गा रोड तक (चैनेज 0.00-1.800) कुल 9.16 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 523 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव FP/UP/ROAD/43247/2019

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-1978/14-1, दिनांक 18.01.2020 एवं पत्रांक-2235/14-1 दिनांक 12.02.2020 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-11सी-पत्रांक-1484/ FP/UP/ROAD/43247/2019 दिनांक 27.01.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 12.02.2020 द्वारा प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है, जिसका परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में पुनः निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

1- प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु आनलाइन भाग-2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सारांश की सूची प्रस्ताव में पुनः संलग्न नहीं की गयी है।

उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए सशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1646 / 11-सी- FP/UP/ROAD/43247/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, शाहजहाँपुर।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, शाहजहाँपुर।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।